

अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर



AVIVA
| Life Insurance |



अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर – एक गैर–संपर्क, गैर–सहभागिता जीवन बीमा योजना जो आपके बच्चे की शिक्षा के पड़ावों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है।

शिक्षा सबसे बड़ी बीमा है और हर माता–पिता अपने बच्चे को बीमा की यह गारंटी प्रदान करने के लिए उत्तर संघर्ष करते हैं। एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छा धन संग्रह बनाना अनिवार्य हो गया है और खास कर शिक्षा की बढ़ती लागतों के साथ यह सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर बचत पर अभिन्नता एक बीमा योजना है जो बच्चों के बढ़ने के साथ–साथ शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक नकद प्रवाह प्रदान करता है। यह शिक्षा के महत्वपूर्ण पड़ावों पर कॉलेज की शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए एकमूठ रकम भी देता है।

अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर – अनोखे आकर्षण

आपके बच्चे के शिक्षा के पड़ावों के लिए रकम की जरूरतें पूरी करता है

• ट्यूशन शुल्क में सहायता (टीएफएस):

आपको किसत मुगतान अवधि के अंत से गारंटीड वार्षिक मुगतान मिलना शुरू होगा और उसके बाद आपका बच्चा 17 साल का हो जाने तक हर साल मिलेगा। यह आपको आपके बच्चे की 12 वीं कक्षा तक का ट्यूशन खर्च देने में मदद कर सकता है।

• कॉर्सेज में दाखिला शुल्क (सीएफ):

आपको एकमूठ रकम मिलेगा, आपका बच्चा 18 साल का हो जाने पर आप जिसका उपयोग कॉर्सेज में उसके दाखिले के समय कर सकते हैं।

• उच्चतर शिक्षा निषेप (एवईआर):

आपको एक और एकमूठ रकम मिलेगा, आपका बच्चा 21 साल का हो जाने पर जिसका उपयोग उसके पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए कर सकते हैं।

आपके न रहने पर, आपके बच्चे के लिए बेरोक शिक्षा:

• **शिक्षा पूल गारंटी:** यह योजना सुनिश्चित करता है कि आपके न रहने पर, आपके बच्चे की शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध हो, बशर्ते दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को मामले में मृत्यु की तिथि तक की सभी देय किसतों का मुगतान किया गया हो। सभी लाभों, जैसे कि ट्यूशन शुल्क में सहायता के लिए वार्षिक मुगतान, कॉलेज में लगने वाले निधि के लिए एकमूठ रकम और उच्चतर शिक्षा निषेप के रूप में अतिरिक्त एकमूठ रकम, के सापेक्षित नियत तिथियों पर उनका मुगतान किया जाएगा।

• **अतिरिक्त सुरक्षा:** आप दुर्घटनात्मक या प्राकृतिक मृत्यु के प्रति अतिरिक्त सुरक्षा पाने के लिए अवीवा टर्म प्ल्स राइडर (UIN:122B017V01) का विकल्प भी चुन सकते हैं।

अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर – आप योजना के पात्र कैसे बनेंगे

प्रवेश की आयु (पिछला जन्मदिन)	माता / पिता (बीमित व्यक्ति): 21 से 50 वर्ष बच्चा (नामांकित (लाभार्थी)): 0 से 12 वर्ष
मैचुरिटी की आयु (पिछला जन्मदिन)	माता / पिता: अधिकतम 71 वर्ष
पॉलिसी की अवधि (पीटी) (वर्षों में)	21 घटाव बच्चे की प्रवेश आयु
किसत मुगतान अवधि (पीटीटी) (वर्षों में)	बच्चे की प्रवेश आयु 0 से 8 के लिए: 13 घटाव बच्चे की आयु बच्चे की प्रवेश आयु 9 से 12 के लिए: 5 वर्ष
योजना विकल्प (किसत)	योजना का विकल्प वार्षिक किसत अर्ध वार्षिक किसत मासिक किसत
	रजत 25,000 12,80 0 2,200
	स्वर्ण 50,000 26,00 0 4,400
	हीरक 100,000 51,50 0 8,800
	200,000 102,500 17,500
	400,000 205,000 35,000
	600,000 307,500 52,500
	800,000 410,000 70,000
	1000,000 512,500 87,500
आश्वस्त रकम (एसए)	योजना के सभी विकल्पों के लिए किसत निश्चित है, केवल प्लैटिनम विकल्प के सिवाय जहाँ गारंटी विकल्प के विकल्प के बिलकुल पूरा प्रकार के किसतों में से किसी भी किसत मुगतान के विकल्प चुन सकते हैं। बढ़ती किसत के साथ उत्तरजीविता एवं मैचुरिटी लाभ भी बढ़ जाएगी। अधिक जानकारी है लिए 'उत्तरजीविता एवं मैचुरिटी' लाभ भी देखें। काफ़ी जल्दी और बस्तु के उक्त शालिक है कि नियुक्ती नहीं है, और सकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ये कर लागू होंगे। कर विधियों परिवर्तन के अधीन है।
	मूर्यु अश्वस्त रकम वार्षिक किसत जो वार्षिक किसत, राइडर किसत और कर, यदि हो, को छोड़कर। का दस गुना रकम या मैचुरिटी अश्वस्त रकम या मुगतान की गई विकल्पों का 105: [अतिरिक्त किसत, राइडर किसत और कर, यदि हो, को छोड़कर] रकम] में से अधिक होंगा।
उपलब्ध राइडर	मैचुरिटी अश्वस्त रकम वीमित व्यक्ति की आयु, पॉलिसी की अवधि और योजना के विकल्प पर निर्भर करता है। हर एक किसत के लिए मैचुरिटी अश्वस्त रकम तालिका नीचे परिशिष्ट 1 में दी गई है।
	अवीवा टर्म प्ल्स राइडर (UIN:122B017V01) राइडर के बारे में अधिक जानकारी के लिए कूपया राइडर ब्रोशर देखें।
किसत की आवृत्ति	वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और मासिक (केवल ईसीएस के ज़रिए) वार्षिक और अर्ध-वार्षिक मोड़स के लिए 30 दिनों और मासिक मोड़ के लिए 15 दिनों की छूट की अवधि की अनुमति है।

अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर – गुणवत्ता शिक्षा के लिए 3 आसान चरण

चरण 1: मिलने वाले लाभ मुगतान का निर्णय लें, आप अपने बच्चे की शिक्षा के पड़ावों के लिए जो पाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब योजना के विकल्प और आपको मिलने वाली सुरक्षा पर प्राप्त डालेगा।

चरण 2: अपनी किसत मुगतान आवृत्ति चुनें, जो आपकी सुविधा के आधार पर वार्षिक, अर्ध-वार्षिक या मासिक (केवल ईसीएस के ज़रिए)

चरण 3: अपना मनवाहा अतिरिक्त सुरक्षा चुनें। आप अवीवा टर्म प्ल्स राइडर (अतिरिक्त मृत्यु लाभ) का चुनाव करके अतिरिक्त सुरक्षा का विकल्प भी चुन सकते हैं।

अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर – लाभ

• **मृत्यु लाभ:** बीमित व्यक्ति के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के घटना में, निम्न लाभ देय होगा, बशर्ते मृत्यु की तिथि तक सभी नियत किसतों का मुगतान किया गया हो:

- मृत्यु आश्वस्त रकम वह रकम होगी जो वार्षिक किस्त (अतिरिक्त किस्त, राइडर किस्त और कर, यदि हो, को छोड़कर) का दस गुना रकम या मैचुरिटी आश्वस्त रकम या भुगतान की गई किस्तों का 105% (अतिरिक्त किस्त, राइडर किस्त और कर, यदि हो, को छोड़कर) रकम] में से अधिक होगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि:

- i) मृत्यु आश्वस्त रकम से पहले ही भुगतान की जा चुकी कोई टीएफएस या सीएफ घटाया नहीं जाएगा;
 - ii) नियत तिथियों पर टीएफएस, सीएफ और एचईआर का आगामी इन्स्टॉलमेंट देय होगा।
 - बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद, कोई भुगतान करते समय यदि नामांकित व्यक्ति (लाभार्थी) नाबालिग है, तो यह भुगतान अपॉइंटमेंट को किया जाएगा।
 - यदि अविवाट टर्म प्ल्स राइडर का विकल्प चुना गया है, तो राइडर आश्वस्त रकम भी देय होगा।
 - राइडर लाभ का भुगतान करने के बाद राइडर के अधीन कवर जोखिम समाप्त हो जाएगा।
 - बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद, इस पॉलिसी का लाभ पाने के अलावा नामांकित व्यक्ति (लाभार्थी) का कोई पॉलिसी अधिकार नहीं होगा।
- बीमित व्यक्ति (माता/पिता) की मृत्यु से पहले नामांकित व्यक्ति (लाभार्थी) की मृत्यु होने के मामले में, बीमित व्यक्ति (माता/पिता) को दूसरे बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति, जिसके साथ नामांकित व्यक्ति (लाभार्थी) के समान श्रीमायोग्य लाभ है, को नामांकित करने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में, लाभ की संरचना उसी तरह बनी रहेगी जैसा पॉलिसी की शुरुआत में स्वीकार किया गया था।
- उत्तरजीविता एवं मैचुरिटी लाभ: यह योजना उत्तरजीविता लाभ और मैचुरिटी लाभ प्रदान करता है, फिर चाहे शुरुआत में आपके द्वारा चुनी गई किस्त विकल्प के अनुसार किस्त भुगतान मोड कोई भी हो, जैसा कि निम्न तालिकाओं में प्रस्तुत है:

उत्तरजीविता लाभ					
विकल्प	किस्त (₹ में)	ट्यूशन शुल्क सहायता (टीएफएस)	कॉलेज दाखिला निधि (सीएफ)	उच्चतर शिक्षा निष्पेप (एचईआर)	
रजत	₹1Y - 25,000 HIY - 12,800 MIY - 2,200	15,000	40,000	मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाया पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम	
स्वर्ण	₹1Y - 50,000 HIY - 26,000 MIY - 4,400	20,000	1,00,000	मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाया पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम	
हीरा	₹1Y - 1,00,000 HIY - 51,500 MIY - 8,800	40,000	2,50,000	मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाया पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम	
प्लैटिनम	₹1Y - 2,00,000 HIY - 1,02,500 MIY - 17,500	80,000	6,00,000	मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाया पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम	
	₹1Y - 4,00,000 HIY - 2,05,000 MIY - 35,000	1,60,000	12,00,000	मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाया पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम	
	₹1Y - 6,00,000 HIY - 3,07,500 MIY - 52,500	2,40,000	18,00,000	मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाया पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम	
	₹1Y - 8,00,000 HIY - 4,10,000 MIY - 70,000	3,20,000	24,00,000	मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाया पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम	
	₹1Y - 10,00,000 HIY - 5,12,500 MIY - 87,500	4,00,000	30,00,000	मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाया पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम	

लाभों की अदायगी													
जब बच्चे की आयु हो (वर्ष में)	बच्चे की प्रवेश आयु के लिए (वर्ष में)												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	-	-	-	-
14	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	-	-	-
15	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	-	-	-
16	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	-	-
17	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS	TFS
18	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF	CAF
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	HER	HER	HER	HER	HER	HER	HER	HER	HER	HER	HER	HER	HER

TFS: ट्यूशन शुल्क सहायता

CAF: कॉलेज दाखिला निधि

HER: उच्चतर शिक्षा निष्पेप = मैचुरिटी आश्वस्त रकम घटाव पहले ही भुगतान की जा चुकी सभी टीएफएस और सीएफ की कुल रकम

बच्चे की उपरोक्त आयु पूर्ण हो जाने पर और के तुरंत बाद पॉलिसी के वर्गांठ पर भुगतान किया जाएगा।

नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, यह मानते हुए उपरोक्त उत्तरजीविता/मैचुरिटी लाभ का भुगतान उपरोक्त तालिका के अनुसार किया जाएगा कि शुरुआत में नामांकित बच्चा नॉमिनी जीवित है और ऊपर उक्त तालिका में उल्लिखित उम्र का हो गया है।

स्वरूप लोगों के लिए उदाहरण

उदाहरण 1

माता/पिता की प्रवेश आयु: 35 वर्ष पिछला जन्मदिन

बच्चे की प्रवेश आयु: 0 वर्ष पिछला जन्मदिन

पॉलिसी की अवधि: 21 वर्ष

किस्त भुगतान अवधि: 13 वर्ष

किस्त विकल्प: स्वर्ण योजना, ₹ 50,000 के वार्षिक किस्त के साथ

आयु और अवधि पर आधारित आश्वस्त रकम: ₹ 12,50,000

देय उत्तरजीविता एवं मैचुरिटी लाभ

बच्चे की आयु	13	14	15	16	17	18	21
उत्तरजीविता लाभ (₹ 000 में)	20	20	20	20	20	100	1050

मैचुरिटी पर प्रतिफल (आईआरआर): 4.61%

उदाहरण 2

माता/पिता की प्रवेश आयु: 35 वर्ष पिछला जन्मदिन

बच्चे की प्रवेश आयु: 5 वर्ष पिछला जन्मदिन

पॉलिसी की अवधि: 16 वर्ष

किस्त भुगतान अवधि: 8 वर्ष

किस्त विकल्प: प्लैटिनम योजना, ₹ 4,00,000 के वार्षिक किस्त के साथ

आयु और अवधि पर आधारित आश्वस्त रकम: ₹ 52,00,000

देय उत्तरजीविता एवं मैचुरिटी लाभ

बच्चे की आयु	13	14	15	16	17	18	21
उत्तरजीविता लाभ (₹ 000 में)	160	160	160	160	160	1200	3200

मैचुरिटी पर प्रतिफल (आईआरआर): 4.56%

• सुरक्षा के विकल्प:

यह योजना आपके लिए विशेष रूप से निर्भीत एक राइडर अवीआर टर्म प्ल्स राइडर (UIN: 122B017V01) पेश करता है, आपके पॉलिसी द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा को इस्ट बनाने के लिए आप जिसका इस्टेमाल कर सकते हैं। केवल शुरुआत में ही राइडर का विकल्प चुना जा सकता है। हमें पॉलिसी की वर्गांठ से कम से कम 15 दिनों पहले

एक लिखित सूचना देकर आपको राइडर वापस लेने का अधिकार है। एक बार वापस हो जाने के बाद, दुबारा राइडर नहीं लिया जा सकता है। इस राइडर के अधीन कवरेज अवधि "मूल योजना की किस्त भुगतान अवधि या अयु 70 वर्ष, जो जल्दी हो जाएगी।

इस राइडर के अधीन आश्वस्त रकम मूल आश्वस्त रकम से अधिक नहीं होना चाहिए और राइडर की किस्त विनियामक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो तत्काल मूल किस्त का 30% है। विनियामक द्वारा विनियोगी राइडर किस्त सीमा पार होने के मामले में राइडर का प्रत्यावर्त नहीं दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि राइडर के अधीन कोई उत्तरांजिता, समर्पण या मैचुरिटी लाभ देय नहीं है।

यदि मूल पॉलिसी के साथ यह राइडर की भी लिया जाता है, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मूल पॉलिसी के अधीन देय लाभों की अदायगी के साथ-साथ एक अतिरिक्त मृत्यु लाभ देय होगा जो "अवीआर्टम प्ल्स राइडर आश्वस्त रकम" के समान होगा। राइडर लाभ कंबल उपलब्ध हैं जब मूल पॉलिसी सम्पूर्ण/अनुबंधित आश्वस्त रकम के लिए प्रभाव में हैं।

इस राइडर के तहत न्यूनतम आश्वस्त रकम ₹ 50,000 है और अधिकतम आश्वस्त रकम मूल आश्वस्त रकम तक की हो सकती है। अवीआर्टम प्ल्स राइडर अंडरराइटिंग के अधीन है। अवीआर्टम प्ल्स राइडर आश्वस्त रकम, कवरेज की अवधि और बीमित व्यक्ति की आयु पर निर्भर है। अवीआर्टम प्ल्स राइडर एक अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध होगा।

अवीआर्टम प्ल्स राइडर के किस्त दरों का नमूना:

एक व्यापक व्यक्ति (विनियमित किस्त) के लिए राइडर आश्वस्त रकम के प्रति ₹ 1000 रुपए के लिए प्रति वर्ष तालिकाबद्ध किस्त :

मात्रा / पिता	पुरुष			महिला		
	PPT=3 वर्ष	PPT=9 वर्ष	PPT=7 वर्ष	PPT=3 वर्ष	PPT=9 वर्ष	PPT=7 वर्ष
25	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
35	3.28	2.88	2.75	3.28	2.88	2.75
45	8.41	7.19	6.69	8.41	7.19	6.69

• व्यपगत, प्रदत्त और समर्पण:

• **व्यपगत (यदि पॉलिसी के दो वर्षों की किस्त अदा नहीं की गई है):**
यदि पहले दो पॉलिसी वर्षों की किस्त अदा नहीं की गई है, और छूट की अवधि समाप्त होने से पहले नियमित किस्त अदा नहीं की गई है, तो छूट की अवधि समाप्त होने पर पॉलिसी बिना किसी भुगतान मूल्य के व्यपात हो जाएगी। एक व्यपगत पॉलिसी पर कोई जोखिम कवर नहीं होगा।

एक व्यपगत पॉलिसी को किस्त भुगतान अवधि के दौरान प्रथम आदत किस्त की तिथि से 2 वर्षों की रिवाइबल अवधि के अंतर्गत रिवाइब किया जा सकता है।

यदि एक व्यपगत पॉलिसी को उत्तर 2 वर्षों की रिवाइबल अवधि के दौरान रिवाइब नहीं की गया या, तो रिवाइबल अवधि के अंत में भुगतान की गई सभी किस्तों (राइडर किस्त, अतिरिक्त किस्त और करों, यदि हो, को छोड़कर) का 30% रकम देय होगा और पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी।

यदि व्यपगत पॉलिसी के अधीन बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो भुगतान की गई सभी किस्तों (राइडर किस्त, अतिरिक्त किस्त और करों, यदि हो, को छोड़कर) का 30% रकम देय होगा और पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी।

• **प्रदत्त पॉलिसी (यदि कम से कम दो वर्षों की किस्त अदा की गई है):**

यदि कम से कम दो पॉलिसी वर्षों के लिए किस्तों का भुगतान किया गया है और यदि कोई अगली देव नियमित किस्त छूट की अवधि समाप्त होने से पूर्व अदा नहीं की गई है, तो छूट की अवधि समाप्त होने के बाद पॉलिसी एक प्रदत्त पॉलिसी बन जाएगी। यह पॉलिसी अपवाहित आश्वस्त रकम, अर्थात् प्रदत्त आश्वस्त रकम सहित एक प्रदत्त पॉलिसी बन जाएगी और एक प्रदत्त मूल्य ले ले जाएगा।

प्रदत्त आश्वस्त रकम निम्न के समान होगा :

मैचुरिटी आश्वस्त रकम \times (भुगतान की गई किस्तों की कुल संख्या/पॉलिसी के अधीन देय किस्तों की कुल संख्या)

प्रदत्त मूल्य निम्न के समान होगा:

मैचुरिटी आश्वस्त रकम \times (भुगतान की गई किस्तों की कुल संख्या/पॉलिसी के अधीन देय किस्तों की कुल संख्या) – पहले ही अदा की जा चुकी उत्तरांजिता लाभ

• प्रदत्त पॉलिसी को किस्त भुगतान अवधि के दौरान प्रथम आदत किस्त की तिथि से 2 वर्षों की रिवाइबल अवधि के अंतर्गत रिवाइब किया जा सकता है।

पॉलिसी की अवधि के दौरान एक प्रदत्त पॉलिसी के अधीन बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में प्रदत्त आश्वस्त रकम देय होगा। बीमित व्यक्ति के मैचुरिटी तक जीवित रहने पर, प्रदत्त मूल्य देय होगा। कोई अन्य लाभ देय नहीं होगा।

• रिवाइबल:

- प्रथम आदत किस्त की तिथि से 2 वर्षों के अंतर्गत व्यपगत / प्रदत्त पॉलिसी को रिवाइब करने की अनुमति है।
- बहाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग नीति के अनुसार कंपनी के संतुष्टि के अनुरूप बीमित व्यक्ति के निरंतर बीमायोग्यता का प्रमाण जमा करने के अधीन है।
- ₹ 250 के रिवाइबल शुल्क और विलंबित अवधि के लिए आदत देय किस्तों पर 9% प्रति वर्ष मासिक चक्रवृद्धि के अनुसार व्याज सहित सभी बकाया किस्त देय होगा।
- रिवाइबल शुल्क और व्याज का दर आईआरडीएआई के अनुमोदन सहित भविष्य में समीक्षा की अधीन है।
- **समर्पण:** एक पॉलिसी का समर्पण किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम दो वर्षों के किस्तों के भुगतान किया गया हो। देय समर्पण मूल्य वह होगा जो आश्वस्त समर्पण मूल्य और विशेष समर्पण मूल्य में से अधिक हो।
- गारंटीड समर्पण मूल्य = जीएसवी घटक समर्पण × समर्पण की तिथि तक भुगतान की गई किस्तों, राइडर किस्त, करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर घटक पहले ही भुगतान की जा चुकी उत्तरांजिता लाभ, सदि हो। जीएसवी घटक परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।
- विशेष समर्पण मूल्य = प्रदत्त मूल्य × विशेष समर्पण मूल्य घटक

(कंपनी द्वारा विशेष समर्पण मूल्य घटकों पर आईआरडीए से मैंजूरी के अधीन समय—समय पर निर्णय लिया जाएगा।)

एक बार समर्पण मूल्य का भुगतान होने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे। राइडर, यदि हो, के संबंध में कोई समर्पण मूल्य नहीं होगा।

- कर लाभ: कर लाभ, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80C और 10(10D) के अनुसार होगा। कर लाभ प्रवलित कर विधियों के अनुसार लागा है और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।
- नामांकन एवं समनुदेशन: इस पॉलिसी के तहत समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन परिवारित नामांकन और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अधीन परिवारित समनुदेशन की अनुमति है। इस अनुबंध के प्रयोजन होते ही पॉलिसी धारक को एक बच्चे (नामांकित (लाभार्थी)) का नाम निर्दिष्ट करना होता है।

प्रीलुक अवधि:

आपको फ्री लुक अवधि, पॉलिसी दरक्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि आप उनमें से किसी नियमों और शर्तों से असहमत हैं, तो आपके पास आपत्ति का कारण बताते हुए पॉलिसी वापस करने का किलप है, उसके बाद आप चिकित्सा, यदि हो, और स्टेप्प ज्यूटी पर वहन की गई व्यय की कठोरी के बाद भुगतान की गई किस्त भाग पाने के अधिकारी होंगे।

आवाद (यदि हो):

12 महीनों की भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने पर:

- i. पॉलिसी के शुरुआती की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी, कर, राइडर विस्तर और अतिरिक्त विस्तरों के भुगतान को छोड़कर, भुगतान की गई किस्तों का 80% रकम पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभाव में हो, या
- ii. पॉलिसी के रिवाइबल की तिथि से पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी, वह रकम पाने का अधिकारी होगा, जो कर, राइडर किस्त और अतिरिक्त किस्तों के भुगतान को छोड़कर, भुगतान की गई किस्तों के 80% रकम और मूल्य की तिथि की उपलब्ध समर्पण मूल्य में से अधिक होगा।

अवीआर्टम रकॉलर सिक्योर - किस्त भुगतान के बारे में

• आवश्यक किस्त योजना के विकल्प और किस्त भुगतान आवृत्ति के अनुसार होगी:

योजना का विकल्प	वार्षिक किस्त	अर्ध वार्षिक किस्त	मासिक किस्त
रजत	25000	12800	2200
स्वर्ण	50000	26000	4400
हीरक	100000	51500	8800
प्लैटिनम	200000	102500	17500

सभी योजना विकल्पों के लिए किस्त निश्चित है, केवल प्लैटिनम के अलावा जहाँ ग्राहक ₹ 4,00,000; ₹6,00,000; ₹8,00,000; और ₹10,00,000 की वार्षिक किस्त भी अदा कर सकता है। समानुपाती रूप से लाभ भी बढ़ेगे। इसी तरह, प्लैटिनम विकल्प के लिए अधृत-वार्षिक और मासिक मोड़स के लिए इन्स्टॉलमेंट किस्त की रकम भी समानुपाती रूप से बढ़ेगी।

निम्न तालिका 35 साल के एक मात्रा/पिता के लिए सभी चर्चे योजना विकल्पों में उपलब्ध मैयूरिटी आश्वस्त रकम दर्शाती है, जहाँ पॉलिसी की अवधि = 21 – चर्चे की प्रवेश आयु और किस्त भुगतान अवधि = 13 – चर्चे की प्रवेश आयु है:

योजना के विकल्प	आश्वस्त रकम ₹ में		
	चर्चे की प्रवेश आयु: 0 वर्ष	चर्चे की प्रवेश आयु: 4 वर्ष	चर्चे की प्रवेश आयु: 6 वर्ष
	पॉलिसी की अवधि = 21 वर्ष	पॉलिसी की अवधि = 17 वर्ष	पॉलिसी की अवधि = 15 वर्ष
	किस्त भुगतान अवधि = 13 वर्ष	किस्त भुगतान अवधि = 9 वर्ष	किस्त भुगतान अवधि = 7 वर्ष
रजत	612,500	3,62,500	2,50,000
स्वर्ण	12,50,000	7,50,000	5,25,000
हीरक	25,50,000	15,25,000	11,00,000
प्लैटिनम*	51,00,000	30,50,000	22,00,000

*आश्वस्त रकम की तालिका के लिए, कृपया परिशिष्ट-1 देखें।

*प्लैटिनम विकल्प के नीचे, उपरोक्त आश्वस्त रकम ₹2,00,000 की किस्त के लिए दर्शाया गया है।

राइडर किस्त: राइडर किस्त राइडर आश्वस्त रकम पर ही लागू होगी और मूल योजना के अधीन देय नियमित किस्तों के अतिरिक्त अलग से देय होगा। विभिन्न किस्त आवृत्तियों के लिए राइडर किस्त निर्धारित करने के लिए, वार्षिक राइडर किस्त दरों पर निम्नलिखित मोडल फैक्टर लागू होगा।

मोड	फैक्टर
मासिक	0.0871
अर्ध वार्षिक	0.5108
वार्षिक	1

करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय-समय के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जायंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन हैं।

स्वीकृति

जोखिमों की स्वीकृति और पूरी किस्त मिलने तक अवीवा किसी भी दोष के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

अवीवा में ही निवेश क्यों करें?

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया - डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बिमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होलिडग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834 से रहा है। अवीवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अवीवा घृप के 16 देशों में 33 मिलियन ग्राहक हैं (2016)।

धारा 41

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुसार, (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइब करने या जारी रखने के लिए, देश कमीशन में सम्पूर्ण या अधिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्येक या अप्रत्येक रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रत्याप नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइब करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकृत हो।

उपर्युक्त है कि एक बीमा एजेंट द्वारा खुद या अपने जीवन पर की गई जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन स्वीकार करने पर इसे उप-धारा के अर्थों के अंतर्गत किस्तों पर छूट के अधीन स्वीकार्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी स्वीकृति के समय बीमा एजेंट यह प्राप्तिपूर्ति करते हुए विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त एक असली बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के उपर्युक्तों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

धारा 45

समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद पॉलिसी पर मिश्या-कथन के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।

अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर

संलग्नक

- किस्त को किस्त भुगतान की नियत तिथि पर ही सामायेजित किया जाएगा चाहे यह अग्रिम रूप से ही क्यों न मिले हो। अविवा पॉलिसी की सारी में विनिर्दिष्ट नियत नियमित से कोई रकम स्वीकार नहीं करेगा।
- किस्त का भुगतान अविवा के किसी भी शाखा कार्यालय में नकद में, चेक या डिमांड ड्रॉप किया जा सकता है। आप अविवा के किसी शाखा या आपके निकट स्थित किसी स्कार्फायैक ड्रॉप बॉक्स में अपनी चेक या ड्रॉप जमा कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स के स्थानों की सूची पाने के लिए www.avivaindia.com देखें।
- एव के तरफ से इस पॉलिसी के प्रति ऋण का कोई प्रावधान नहीं है।
- एक नियमित योजना विकल्प के लिए, पॉलिसी के वर्षगांठ पर किस्तों के भुगतान के मोड़स में परिवर्तन करवाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए परिवर्तन शुल्क लगेंगा जो तत्काल ₹100/- है और आईआरडीएआई के अनुमोदन के अधीन भवित्व में परिवर्तन के अधीन है।
- प्रचलित दर पर व्याज का मुआवान करके पॉलिसी को तत्काल वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पूर्व दिनांकित किया जा सकता है। तत्कालिक व्याज दर मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर 9% प्रति वर्ष है।

परिशिष्ट - 1

गारंटीड समर्पण मूल्य घटक:

समर्पण का पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी की अवधि (वर्षों में)																			
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
2	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%							
3	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%							
4	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%							
5	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%							
6	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%							
7	70%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%							
8	90%	70%	67%	65%	63%	60%	57%	55%	53%	50%	50%	50%	50%							
9	90%	90%	83%	80%	77%	75%	73%	70%	67%	65%	63%	60%	57%							
10		100%	90%	87%	85%	83%	80%	77%	75%	73%	70%	67%	65%							
11		100%	90%	87%	85%	83%	80%	77%	75%	73%	70%	67%	65%							
12			100%	95%	93%	90%	87%	85%	83%	80%	77%	75%	73%							
13				100%	97%	95%	93%	87%	85%	83%	80%	77%	75%							
14					110%	105%	100%	95%	90%	88%	84%	80%	76%							
15						120%	115%	113%	100%	97%	95%	90%	87%							
16							125%	117%	115%	113%	100%	97%	95%							
17								125%	120%	117%	115%	100%	97%							
18									130%	125%	123%	115%	100%							
19										135%	133%	125%	100%							
20											140%	135%	100%							
21												145%	100%							

किस्त के हर एक विकल्प के लिए मैचुरिटी पर आश्वस्त रकम नीचे दी गई तालिकाओं में उल्लिखित है:

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

उत्पादः

“रजत विकल्प” के लिए आश्वस्त रकम (किस्त के सभी मोड़स के लिए) किनार ₹ 25,000

किस्त ₹ 25,000

10

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

उत्पादः

“स्वर्ण विकल्प” के लिए आश्वस्त रकम (किस्त के सभी मोड़स के लिए)

किस्त ₹50,000

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

उत्पादः

"हीरक विकल्प" के लिए आश्वस्त रकम (किस्त के सभी मोडस के लिए)

किस्त ₹1,00,000

14,000 - 1,000,000

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

उत्पादः

“प्लैटिनम विकल्प” के लिए आश्वस्त रकम (किस्त के सभी मोड़स के लिए)

किस्त ₹2,00,000

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

उत्पादः

“प्लैटिनम विकल्प” के लिए आश्वस्त रकम (किस्त के सभी मोड़स के लिए)

किस्त ₹4,00,000

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

उत्पादः

“प्लैटिनम विकल्प” के लिए आश्वस्त रकम (किस्त के सभी मोड़स के लिए)

किस्त ₹8,00,000

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

उत्पादः

“प्लैटिनम विकल्प” के लिए आश्वस्त रकम (किस्त के सभी मोड़स के लिए)

किस्त ₹6,00,000

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

उत्पादः

“प्लैटिनम विकल्प” के लिए आश्वस्त रकम (किस्त के सभी मोड़ुस के लिए)

किस्त ₹10,00,000

पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करेंः

1800 103 7766 (बीएसएनएल / एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737



AVIVA

| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ फेज-V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोनः +91 0124-2709000, फैक्सः +91 0124-2571210

वेबसाइटः www.avivaindia.com

ई-मेलः customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

IRDAI पंजीकरण संख्या : 122

निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफर्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणा:

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

अवीवा यंग स्कॉलर सिक्योर एक लिंकड, गैर-सहभागिता बीमा योजना है। राइडर्स अनिवार्य नहीं है और नाम-मात्र अधिक शुल्क पर उपलब्ध है। एक निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित राइडर ब्रोशर पढ़ें। उपरोक्त प्रदर्शित वाणिज्य प्रतीक अवीवा ब्रांड्स लिमिटेड की है और और इसका उपयोग अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुज्ञा के अधीन किया गया है। अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड भारत का IRDA संख्या 122. कर के लाभ मौजूदा विधियों के अनुसार हैं जो परिवर्तन के अधीन हैं।

कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। हेल्पलाइन नंबरः 1800-180-22-66/1800-103-77-66,

UIN: 122N092V02, MKT/November 2017/Ver. 1.4, Advt No. Jul 13/17.